


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.192)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2015/डी- 93

दिनांक: 20/1/2015


जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 192वीं बैठक दिनांक 15.01.2015 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	192.1	कार्यकारी समिति की 191वीं बैठक दिनांक 25.11.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 191वीं बैठक दिनांक 25.11.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	191.2	कार्यकारी समिति की 191वीं बैठक दिनांक 25.11.2014 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 191वीं बैठक दिनांक 25.11.2014 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	192.3	पालड़ीमीणा के आवास गृहों की छत का आवंटन बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में पालड़ीमीणा के जिन आवंटियों द्वारा आवास की छत पर अनाधिकृत निर्माण कर लिया गया है उनसे पालड़ीमीणा की आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि अर्थात् रूपए 725/- प्रति वर्गमीटर एवं पेनल्टी 20 प्रतिशत राशि अर्थात् रूपए 145/- प्रति वर्गमीटर की दर से राशि वसूल कर छत आवंटन करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10ए



सांचव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
4.	192.4	आवास संख्या 68, खसरा नम्बर 1259, राजस्व ग्राम सांगानेर का पट्टा जारी करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात आवास गृह संख्या 68, राजस्व ग्राम सांगानेर के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर आवास का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	सम्बन्धित अधिकारी उपायुक्त जोन-08
5.	192.5	Approval of Tender for the work "Strengthening & Renewal of Sector and Internal roads in Sector 31, Zone 6 area, JDA, Jaipur.(Phase-II)"	विचार-विमर्श पश्चात "Strengthening & Renewal of Sector and Internal roads in Sector 31, Zone 6 area, JDA, Jaipur.(Phase-II)" के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स हरदयाल कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि. के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2012" राशि पर 7.75% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 7,43,66,811.00 का कायदेशि बिना किसी शर्त के जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
6.	192.6	Approval of Tender for the work "Strengthening & Renewal of Sector and Internal roads in Sector 31, Zone 6 area, JDA, Jaipur.(Phase-I)"	विचार-विमर्श पश्चात "Strengthening & Renewal of Sector and Internal roads in Sector 31, Zone 6 area, JDA, Jaipur.(Phase-I)" के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स हरदयाल कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि. के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2012" राशि पर 5.98% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 10,71,62,584.00 का कायदेशि बिना	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)


 सांचव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			किसी शर्त के जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	
7.	192.7	प्राधिकरण सेवा के अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बढा हुआ मंहगाई भत्ता के भुगतान बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण सेवा के अधिकारी/कर्मचारी, जो राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे-स्केल) रूल्स, 1998 के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.01.2014 से 183 प्रतिशत के स्थान पर 200 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का नक़द भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
8.	192.8	Development of "BAGRANA Kachchi Basti" under Rajeev Awas Yojana, Agra Road. Package-1B (816 DU's G+3 Pattern)	विचार-विमर्श पश्चात "BAGRANA Kachchi Basti" under Rajeev Awas yojana, Agra Road. Package-1A (1008 DU's G+3 Pattern)" के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रा. लि. के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 8.51% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 38,64,73,122.00 का कार्यदेश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
9.	192.9	Agenda Note regarding approval of tender for the work of shifting of water lines in Goner Village/Town, Jaipur amounting to Rs. 2,95,25,080.23 in favour of M/s Nanda Sales, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात "work of shifting of water lines in Goner Village/Town, Jaipur" के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स नन्दा सेल्स के पक्ष में 18.11% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 2,95,25,080.23 के जारी किए गए कार्यदेश को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
10.	192.10	आवास संख्या सी-426 योजना	विचार-विमर्श पश्चात आवास संख्या सी-426,	उपायुक्त

सांच,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		पालडीमीणा के नियमितिकरण के संबंध में।	योजना पालडीमीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	जोन 10ए
11.	192.11	Agenda for approval of bid document for work of "Strengthening/ Rehabilitation of 200' Mahal Road from NRI Circle of HT Line Junction, Zone-9, JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात "Strengthening/ Rehabilitation of 200' Mahal Road from NRI Circle of HT Line Junction, Zone-9, JDA, Jaipur." कार्य के लिए बिड डॉक्यूमेंट को एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
12.	192.12	आवास संख्या जी-868(सी), जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा (सांगानेर) आवासीय योजना का पट्टा जारी करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात आवास संख्या जी-868(सी), जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा (सांगानेर) के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर आवास का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-8



 सांचव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
13.	192.13	कार्यकारी समिति की 189वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 में लिये गये निर्णय के क्रम में श्री भवानी सिंह तंवर कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति/सीधी भर्ती किये जाने के संबंध में भुगतान एवं वरिष्ठता के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात श्री भवानी सिंह को जारी आदेश क्रमांक प.14(19)जविप्रा/संस्था/91 दिनांक 27.10.2014 की अनुपालना में कार्यभार ग्रहण दिनांक 27.10.2014 से समस्त वेतन आदि परिलाभ के साथ दिनांक 01.09.1998 से वेतन नोशनल आधार पर निर्धारित करते हुए वरिष्ठता निर्धारण का लाभ अवैतनिक आधार पर प्रदत्त किए जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
14.	192.14	भूखण्ड संख्या 14, खसरा नम्बर 1259, राजस्व ग्राम सांगानेर में आमानीशाह नाले से प्रभावित परिवार को पट्टा जारी करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या 14, खसरा नम्बर 1259, राजस्व ग्राम सांगानेर के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर आवास का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-8
15.	192.15	Ex-post facto approval of the tender for the work "Strengthening and renewal of road No-5, Benad Road, Police Thana Kamani Road to Benad Mod, road around Khirni Phatak ROB	विचार-विमर्श पश्चात "Strengthening and renewal of road No-5, Benad Road, Police Thana Kamani Road to Benad Mod, road around Khirni Phatak ROB in Zone-6 area in Maintenance Zone-West JDA Jaipur". के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स वेदप्रकाश कॉन्ट्रेक्टर के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)



सांचव,
बयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		in Zone-6 area in Maintenance Zone-West JDA Jaipur".	2012" राशि पर 1.29% अधिक दर पर राशि रूपए 9,15,42,626.00 के जारी किए गए कायदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
16.	192.16	Approval of Tender for the work: Construction of B.T. road in various co-operative societies of Sector-G in Zone-18, JDA, Jaipur. (Annuual Rate Contract)	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of B.T. road in various co-operative societies of Sector-G in Zone-18, JDA, Jaipur." के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स हृदयाल कन्सट्रक्शन प्रा. लि. के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 5.11% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 8,44,18,766.00 का कायदेश जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
17.	192.17	Approval of Tender for the work: Construction of B.T. road in various co-operative societies of Sector-H in Zone-18, JDA, Jaipur. (Annuual Rate Contract)	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of B.T. road in various co-operative societies of Sector-H in Zone-18, JDA, Jaipur." के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स हृदयाल कन्सट्रक्शन प्रा. लि. के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 5.11% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 8,44,18,766.00 का कायदेश जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
18.	192.18	Approval of Tender for the work: Painting and road marking work in Maintenance Zone- North, JDA, Jaipur	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में RTTP Act/Rules में निर्धारित 60 दिवस की समयवधि पार होने के कारण कायदेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)



साक्षर,

दयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		(Rate Contract)	“Painting and road marking work in Maintenance Zone- North, JDA, Jaipur.” के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स गुप्ता के. एन. कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में “जी-सूची” राशि पर 5.01% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 1,89,00,540.26 का कायदेशि जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	
19.	192.19	Approval of Tender for the work: Civil and Misc. repairs work in Zone 8 area in Maintenance Zone- North, JDA, Jaipur (Rate Contract)	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में RTTP Act/Rules में निर्धारित 60 दिवस की समयावधि पार होने के कारण कायदेशि करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए “Civil and Misc. repairs work in Zone 8 area in Maintenance Zone- North, JDA, Jaipur” के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स बाबूलाल चौधरी के पक्ष में “जी-सूची” राशि पर 18.50% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 1,19,84,047.20 का कायदेशि जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
20.	192.20	Approval for rejection of bid for the work “Construction of Compound wall in Rohini Enclave Scheme in Zone-14, JDA Jaipur”	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार “Construction of Compound wall in Rohini Enclave Scheme in Zone-14, JDA Jaipur” के लिए निविदा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
21.	192.21	Approval for rejection of bid for the work "Construction of Compound wall in Abhinav Vihar Vistar Scheme in Zone-14, JDA Jaipur"	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार "Construction of Compound wall in Abhinav Vihar Vistar Scheme in Zone-14, JDA Jaipur" के लिए निविदा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
22.	192.22	Approval of Tender for the work: Civil and Misc. repairs work in Zone 2A area in Maintenance Zone- North, JDA, Jaipur (Rate Contract)	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में RTTP Act/Rules में निर्धारित 60 दिवस की समयावधि पार होने के कारण कायदेशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए "Civil and Misc. repairs work in Zone 2A area in Maintenance Zone- North, JDA, Jaipur" के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स पदमावती एन्टरप्राइजेज के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 14.00% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 1,14,83,166.42 का कायदेशि जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
23.	192.23	जोन-8 क्षेत्र में शिकारपुरा रोड से शिकारपुरा गांव की अप्रोच रोड (30 मीटर सेक्टर रोड का भाग) निर्माण कार्य की निविदा के अनुमोदन हेतु।	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में RTTP Act/Rules में निर्धारित 60 दिवस की समयावधि पार होने के कारण कायदेशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए "जोन-8 क्षेत्र में शिकारपुरा रोड से शिकारपुरा गांव की अप्रोच रोड (30 मीटर सेक्टर रोड का भाग) निर्माण कार्य के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स बालाजी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 7.01% कम दर पर राशि रूपए 84,22,915.00 के जारी किए	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)




सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			गए कार्यदेश क्रमांक JDA/EE Zone 8/WO/2014-2015/Jan/10 Dated 09.01.2015 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
24.	192.24	Ex- post facto approval of the Tender for the work Renewal of Road from 12 mile to Vatika Village and Vatika Road (Kallawala stand) to Govindpura Scheme in Zone- 14, JDA, Jaipur	विचार-विमर्श पश्चात "Renewal of Road from 12 mile to Vatika Village and Vatika Road (Kallawala stand) to Govindpura Scheme in Zone- 14, JDA, Jaipur." के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स गिठाला कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2012" राशि पर 6.92% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 9,73,38,832.00 का कार्यदेश बिना किसी शर्त के जारी किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
25.	192.25	Approval for rejection of bid for the work "Construction of low, full height compound wall and demarcation pillars for residential scheme Surya Nagar (Tootoli) in Zone-14, JDA Jaipur"	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of low, full height compound wall and demarcation pillars for residential scheme Surya Nagar (Tootoli) in Zone-14, JDA Jaipur" के लिए निविदा को प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
26.	192.26	Construction of WBM roads in sector 50 & 58 (Zone-14 & 14A area) JDA,	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में RTTP Act/Rules में निर्धारित 60 दिवस की	निदेशक अभियांत्रिकी


 सचिव,
 नयपुर विकास प्राधिकरण, नयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Jaipur	समयावधि पार होने के कारण कायदेशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए "Construction of WBM roads in sector 50 & 58 (Zone-14 & 14A area) JDA, Jaipur" कार्य के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स ओमप्रकाश अग्रवाल के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 5.50% कम दर पर राशि रूपए 499.31 लाख का कायदेशि जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	(प्रथम)
27.	192.27	Construction of roads in sector 30 (Zone-9 area) JDA, Jaipur (Rate contract).	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of roads in sector 30 (Zone-9 area) JDA, Jaipur (Rate contract)." के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स देवी कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 12% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 490.95 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
28.	192.28	Construction of WBM roads in sector 51, 52 & 53 (Zone-8 area) JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of WBM roads in sector 51, 52 & 53 (Zone-8 area) JDA, Jaipur." के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स ओमप्रकाश अग्रवाल के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 5.50% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 474.49 लाख का कायदेशि जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
29.	192.29	Post facto approval of time period of tender Laps.	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में RTTP Act/Rules में निर्धारित 60 दिवस की	निदेशक अभियांत्रिकी


 सांच,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Name of work: Construction of Various Sector Roads in Zone-11, JDA, Jaipur (Rate Contract)	समयावधि पार होने के कारण कायदेशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए "Construction of Various Sector Roads in Zone-11, JDA, Jaipur" के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स पारुल कन्सट्रक्शन के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 10.95% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 4,45,28,025.00 का कायदेशि जारी किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	(प्रथम)
30.	192.30	Agenda Regarding Approval of Tender for the work : Annual Rate contract for shifting/ Dismantaling of Electrical utilities under drainage project at various place in Jaipur city.	विचार-विमर्श पश्चात "Contract for shifting/ Dismantaling of Electrical utilities under drainage project at various place in Jaipur city." के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स एम. एम. ब्रदर्स के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 30.21% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 2,66,96,078.00 का कायदेशि जारी किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
31.	192.31	Remaining work of parking at First floor & Second floor at Khole Ke Hanumanji, Bas Badanpura, Jaipur	विचार-विमर्श पश्चात "Remaining work of parking at First floor & Second floor at Khole Ke Hanumanji, Bas Badanpura, Jaipur." के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स एल. एन. अग्रवाल के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2012" राशि पर 17.91% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 7,29,87,857.80 का कायदेशि जारी	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)




सावब,

बयपुर विकास प्राधिकरण, बयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			किए जाने का निर्णय लिया गया।	
32.	192.32	Post facto approval of various Development work in Nagar Palika Bagru in Zone-11, JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में RTTP Act/Rules में निर्धारित 60 दिवस की समयवधि पार होने पर कायदेशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए "Various Development work in Nagar Palika Bagru in Zone-11, JDA, Jaipur." के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स गुप्ता के. एन. कन्सल्टेशन के पक्ष में "जी-सूची" राशि पर 12.51% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 6,32,40,032.00 का कायदेशि जारी किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
33.	192.33	अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या सी-481 के नियमितिकरण के संबध में।	विचार-विमर्श पश्चात अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या सी-481 के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11
34.	192.34	Proposal for amendment in rules for enlistment of contractors in JDA	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :- अ. पंजीयन हेतु नवीन प्रवर्ग (Category)-उद्यान (Horticulture) व 'कन्सलटेन्सी' तथा इनकी	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)



 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			<p>विभिन्न श्रेणियों (Class) के सृजन, वर्तमान संवर्गों के विभिन्न श्रेणियों की वित्तीय सीमाओं (निविदा करने के योग्य निहित सीमा) में संशोधन, पंजीयन शुल्क (registration fee) व प्रतिभूति निक्षेप राशि (security deposit) कार्यानुभव, संगठनात्मक ढांचे में संशोधन स्वीकृत किये गये।</p> <p>ब. एजेण्डा के नोट में अंकित विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-</p> <p>1) पंजीकरण केवल तीन साल के लिये किया जायेगा तथा उसके पश्चात उसका नवीनीकरण लागू नियमों व पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात किया जायेगा। जो ढेकेदार वर्तमान में विभिन्न संवर्गों व श्रेणियों में स्थायी रूप से पंजीकृत हैं उन्हें भी अपनी पंजीकरण की दिनांक से तीन साल की अवधि पूर्ण करने पर नवीनीकरण कराना होगा। जिन ढेकेदारों ने तीन साल की अवधि पूर्ण कर ली है या शीघ्र पूर्ण करने वाले हैं उन्हें 30.06.2015 तक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।</p> <p>11) पंजीकरण के नवीन नियम लागू होने के पश्चात जविप्रा के विभिन्न संवर्गों व श्रेणियों में पंजीकृत सभी एजेन्सियों अस्थायी/स्थायी को 30.06.15 तक नवीन पंजीयन डिपोजिट (पूर्व में जमा डिपोजिट एवं नवीन डिपोजिट के</p>	



साचद,
इयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			अन्तर की राशि) जमा कराना होगा अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। III) ठेकेदारों को आवश्यक रूप से अपनी पासबुक संधारित करनी होगी। मूल पासबुक गुम होने पर डुप्लीकेट पास बुक शपथ पत्र के साथ 500 रु0 का शुल्क सचिव जविप्रा के नाम प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध कराई जायेगी। IV) शेष नियम व शर्तें PWF&AR के अनुसार लागू होंगे।	
35.	192.35	Strengthening/Rehabilitation of 200' Mahal Road from Jagatpura ROB to NRI Circle, Zone-9, JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार इस कार्य में 1970 मीटर लम्बाई के स्थान पर लगभग 1170 मीटर में सड़क की नई चौड़ाई के अनुसार कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही कार्य में Interim deviation statement राशि रूपए 7,59,83,805.00 की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
36.	192.36	Approval of tender for the work "Covering of Nallah in front of existing building of RRECL at Yudhisthir Marg, C-Scheme, Jaipur"	विचार-विमर्श पश्चात "Covering of Nallah in front of existing building of RRECL at Yudhisthir Marg, C-Scheme, Jaipur." के लिए न्यूनतम दर दाता मैसर्स आर. के. वशिष्ठ के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2012" राशि पर 24.70% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 1,18,10,435.00 का	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			कार्यादेश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	
37.	192.37	वशिष्ट मार्ग श्याम नगर में रिटेनिंग वाल का निर्माण व अन्य कार्य (टूटी सीवर लाईन के कारण), जोन-5, जविप्रा, जयपुर।	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार वशिष्ट मार्ग श्याम नगर में रिटेनिंग वाल का निर्माण व अन्य कार्य (टूटी सीवर लाईन के कारण) के अन्तर्गत सड़क की 80 मीटर लम्बाई के भाग को डी.एल.पी. से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
38.	192.38	Required amendments in provisions of tendering for single bid and two bid systems.	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :- I) पार्ट ए में एकल एवं टू बिड के अन्तर्गत रोड एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु बिड सीमा संशोधित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। II) पार्ट बी में Joint venture की सीमा एवं शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव defer कर दिया गया। III) पार्ट सी में 'मास्टर बिड डॉक्यूमेन्ट' के अन्दर तकनीकी योग्यता में संशोधन का प्रस्ताव defer कर दिया गया। IV) पार्ट डी में टू बिड की निविदाओं में हाई पावर तथा लोअर कमेटी में संशोधन का प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। E) पार्ट ई में 'प्राईस वेरियेशन' के अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव defer कर दिया गया। एजेण्डा में अन्य बिन्दुओं पर निम्नानुसार	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			<p>निर्देशित करते हुए अनुमोदन किया गया :-</p> <p>VI) BSR Rate से कम दर डालने वाले संवेदकों से अन्तर राशि 'वर्क परफोर्मेंन्स' की गारंटी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लिये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जविप्रा में Prevalent BSR या जिस भी BSR पर निविदाएं आमंत्रित की गयी है उस में BSR Rate से कम दर डालने वाले संवेदकों से अन्तर राशि (at Par की दर से जितनी कम है) 'वर्क परफोर्मेंन्स' की गारंटी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जायेगी तथा इसे कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् वापस लौटा दिया जायेगा। न्यूनतम दर वाले बोलीदाता की बोली स्वीकृत कर Letter of acceptance जारी किया जायेगा एवं 'बी.एस.आर.' दर से कम दर की अन्तर राशि का बैंक गारंटी /FDR प्रस्तुत करने हेतु 7 दिवस का समय दिया जायेगा। जमा नहीं कराने पर EM जब्त होगी। इस बिन्दु पर यह भी सहमति है कि यदि संवेदक कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाता है या पूर्ण नहीं करता है तो उसकी Lower Tender Premium की राशि जविप्रा द्वारा जब्त कर दी जायेगी।</p> <p>VII) डामर के कार्य में ली जाने वाली 'सीआरसी' की अनिवार्यता को पूर्णतया समाप्त</p>	



साचव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			करने के प्रस्ताव को Defer किया गया।	




(पवन अरोड़ा)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 192वीं बैठक दिनांक 15.01.2015 को सायंकाल 4:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री शिखर अग्रवाल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमती लवंग शर्मा	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री के.एल.वैरवा	डिविजनल अभियंता	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री एम.पी. बहगुर्जर	अतिरिक्त आयुक्त पुलिस	पुलिस विभाग, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री दीपक शर्मा	अधिसाषी अभियंता सीडी-चतुर्थ	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9.	श्री ललित शर्मा	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10.	श्री राजेन्द्र विजय	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री नजेश किशोर	विशेषाधिकारी (आर.एम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री सतीश गोयल	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेंट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री अरविन्द आर्य	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री बी.डी. शर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-चतुर्थ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री वी.एस. सुण्डा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री राज कुमार शर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, तृतीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री टी.के. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता (iv)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री अजय गर्ग	अधीक्षण अभियन्ता (ix)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री मनोज कुमार सोनी	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री एन.के. सिधल	अधीक्षण अभियन्ता-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
23.	श्री एम.अहमद	अधीक्षण अभियन्ता -तृतीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री बी.एल. जाटव	अधीक्षण अभियन्ता-VII	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्रीमती सीमा कुमार	उपायुक्त जोन-10 ए	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री अवधेश माथुर	अधिशायी अभियन्ता (Housing-II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री आर.के. माथुर	अधिशायी अभियन्ता-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्री अनिल विजयवर्गीय	अधिशायी अभियन्ता-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29.	श्री मुकेश राणा	अधिशायी अभियन्ता-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
30.	श्री वी. एस. राठी	अधिशायी अभियन्ता-6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
31.	श्री राजेन्द्र आहुजा	अधिशायी अभियन्ता-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
32.	श्री धमेन्द्र शर्मा	अधिशायी अभियन्ता -8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
33.	श्री देवेन्द्र केवलिया	अधिशायी अभियन्ता 13बी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
34.	श्री संजीव सचदेव	अधिशायी अभियन्ता-(विद्युत पी.आर.एन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
35.	श्री विनोद झा	अधिशायी अभियन्ता -1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
36.	श्री निरंजन माथुर	अधिशायी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
37.	श्री सुधीर शर्मा	अधिशायी अभियन्ता-18	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	
38.	श्री पी.के. जैन	अधिशायी अभियन्ता-(एस.आर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
39.	बलवीन्द्र कोर	सहायक नगर नियोजक जोन-10 ए	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
40.	श्रीमती उषा जैन	जन सम्पर्क अधिकारी (सेवानिवृत्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


 (पवन अरोड़ा)
 सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प-2 (ई.सी. 192)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2015/डी-

दिनांक:

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलक्टर, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(पवन अरोड़ा)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- प-2(ई.सी.192)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2015/डी- 128 दिनांक: 28/1/15

शुद्धि-पत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 192वीं बैठक दिनांक 15.01.2015 के एजेण्डा संख्या 192.6, जो कि "Approval of Tender for the work "Strengthening & Renewal of Sector and Internal roads in Sector 31, Zone 6 area, JDA, Jaipur.(Phase-I)" से सम्बन्धित है, के निर्णय में सहवन से "G-Schedule based on PWD BSR 2012 राशि पर 5.98% कम दर" अंकित हो गया है। अतः उक्त निर्णय में "G-Schedule based on PWD BSR 2012 राशि पर 5.98% कम दर" के स्थान पर "G-Schedule based on PWD BSR 2012 राशि पर 6.98% कम दर" पढ़ा जावे।


(पवन अरोड़ा)

सचिव


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महापौर, जयपुर नगर निगम।
5. जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।

501

11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
12. पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग, जयपुर।
13. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, जयपुर।
16. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19. निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20. निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21. निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24. उपायुक्त जोन....., जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25. सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



(पवन अरोड़ा)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- प-2(ई.सी.192)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2015/डी-130 दिनांक: 29/01/15

शुद्धि-पत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 192वीं बैठक दिनांक 15.01.2015 के एजेण्डा संख्या 192.8, जो कि "Development of "BAGRANA Kachchi Basti" under Rajeev Awas Yojana, Agra Road." से सम्बन्धित है, के निर्णय में सहवन से Development of "BAGRANA Kachchi Basti" under Rajeev Awas Yojana, Agra Road. Package-1A (1008 DU's G+3 Pattern)" अंकित हो गया है। अतः उक्त निर्णय में "BAGRANA Kachchi Basti" under Rajeev Awas Yojana, Agra Road. Package-1A (1008 DU's G+3 Pattern)" के स्थान पर "BAGRANA Kachchi Basti" under Rajeev Awas Yojana, Agra Road. Package-1B (816 DU's G+3 Pattern)" पढ़ा जावे।



(पवन अरोड़ा)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महापौर, जयपुर नगर निगम।
5. जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।

9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
12. पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग, जयपुर।
13. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19. निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20. निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21. निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24. उपायुक्त जोन....., जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25. सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(पवन अरोड़ा)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर